संख्या–1303/xxiv (7)105(2)–11/2008

प्रेषक,

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 15 दिसम्बर 2009

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–2010 में राज्य के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में रंगाई पुताई, मरम्मत आदि हेतु 12वें वित्त आयोग के अर्न्तगत अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री विकास/5192/2009–10 दिनांक 22–8–09 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न विवरणानुसार राज्य के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में रंगाई पुताई, मरम्मत आदि हेतु, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष वित्त विभाग टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षित/अनुमोदन के अनुरुप कुल रु0 36.90/– (रु0 छत्तीस लाख नव्वे हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान करते है।

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों पर, जो दरें शिड्यूल आफरेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधिक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2). कार्य. करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाए।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितना की स्वीकृत नार्म से है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण कार्य के आगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा एवं किसी भी दशा में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते. समय पालन सुनिश्चित किया जाए।

(6) कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भ वेत्ता के साथ अवश्य करा लें, निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

(8) निर्माण सामग्री का प्रयोग में लाने से पूर्व प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाए तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

(9) जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का प्राविधानित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्ययता संबंधी नियमों एवं दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त संबंधित निर्माण इकाई को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3– उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट रुल्स 2008 के प्राविधानों के अर्न्तगत कार्य करवाया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के उपभोग के संबंध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अनुरक्षण कार्य यथाशीध्र पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 दिसम्बर 2009 तक उपलब्ध करा दिये जॉय ताकि भारत सरकार से धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया जा सके। अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने के लिए प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा, कार्यदायी संस्था द्वारा विलम्ब करने की दशा में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा कार्य की लागत का पुनरीक्षण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या– 07 के अधीन लेखा–शीर्षक– 2059–लोक निर्माण कार्य –80 –सामान्य 053– रख–रखाव तथा मरम्मत–आयोजनेत्तर –01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें– 0101 –12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण – 29–अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 327 (np)/xxxvii(3)/2008 दिनांक 30–11–2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीया,

(राधिका झा)
अपर सचिव

सं0 1303 (1)/ xxiv (7)105(2)–11/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।

2–आयुक्त गढवाल एवं कुमाऊँ मण्डल ।

3–जिलाधिकारी सम्वन्धित जनपद ।
4–कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
5–प्राचार्य, समवन्धित राजकीय महाविद्यालय ।
6–निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
7–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
8–वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9–विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(पी0एल0 शाह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या 1503/ xxiv (7)105(2)–11/2008 दिनांक 15 दिसम्वर 2009 का संलग्नक

धनराशि हजार में

क	महाविद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कार्य	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	राजकीय महाविद्यालय ऋषिकेश	ग्रा0अभि0से0	भवन मरम्मत कार्य	296
2	राजकीय महाविद्यालय रामनगर	लो0नि0वि0	1–छात्रावास भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई 2–अनावासीय भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई	830 500
3	राजकीय महाविद्यालय अगस्त्यमुनी	उ0पे0सं0वि0नि0	अनावासीय भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई	780
4	राजकीय महाविद्यालय खटीमा	ग्रा0अभि0से0	अनावासीय भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई	500
5	राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर	उ0पे0स0वि0नि0	अनावासीय भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई	784
			कुल योग	3690

(रु0 छत्तीस लाख नव्वे हजार मात्र)

(पी0एल0 शाह)
उप सचिव

15/12/09